कुछ बीमा पॉलिसियां जो आपको ज़रूर लेनी चाहिए

अपनी सबसे महत्वपूर्ण सम्पत्तियों एवं आय को सुरक्षित करना ठोस आर्थिक प्लानिंग की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। उचित बीमा पॉलिसियां आपकी इस उद्देश्य को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उनके प्रियज़नों का भविष्य सुनिश्चित हो। उनके नहीं रहने के बाद भी उनके आश्रित माता-पिता, बच्चे एवं पति/पत्नी की जीवन-शैली प्रभावित नहीं हो। इसलिए, हर व्यक्ति को चाहिए कि वे कम-से-कम पाँच बीमा पॉलिसियां - टर्म बीमा, दुर्घटना बीमा एवं स्वास्थ्य बीमा, गृहस्वामी बीमा एवं वाहन बीमा अवश्य लें।

1. टर्म बीमा पॉलिसी**:** टर्म बीमा या टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी एक विशुद्ध ज़ोखिम कवर प्लान है जो एक निश्चित समय के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। अगर, बीमाधारक की मृत्यु उस समयावधि के अन्दर हो जाती है तो उसके नॉमिनी (लाभार्थी) को बीमा कंपनी निर्धारित बीमा-राशि की भुगतान करती है। भविष्य की किसी अनहोनी को रोक पाना तो संभव नहीं है; लेकिन, इंसान टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के ज़रिये अपने प्रियजनों के आर्थिक भविष्य को सुनिश्चित अवश्य कर सकता है। उचित बीमा-राशि की एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के माध्यम से आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके असामयिक निधन के बाद भी आपके परिजनों के जीवन की महत्वपूर्ण मौकों जैसे -आपके बच्चों की शिक्षा एवं शादी के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। उचित बीमा-राशि की गणना हेतु आप फ़ाईनांशियल प्लानर की मदद ले सकते हैं।

विशुद्ध टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर बीमाधारक बीमा अवधि तक जीवित रहता है तब प्रीमियम वापस नहीं होता और ज़ोखिम कवर भी समाप्त हो जाता है। यह बीमा उत्पाद सौ फीसदी सुरक्षा देने के उद्देश्य से बनाया गया है, इसलिए इसका कोई अत्तिरिक्त शुल्क नहीं होता। इसका प्रीमियम सारे जीवन बीमा पॉलिसियों की तुलना में कम होता है। बाज़ार में कुछ ऐसे भी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसियां उपलब्ध हैं जिसके अन्तर्गत बीमा अवधि की समाप्ति के बाद बीमाधारक की जीवित रहने की स्थिति में प्रीमियम की वापसी होती है; लेकिन, ऐसी पॉलिसियां बहुत महंगी होती है। पॉलिसीधारक को चाहिए कि ऐसी महंगी पॉलिसी लेने के बजाय एक विशुद्ध टर्म बीमा पॉलिसी लें तथा शेष राशि को किसी अन्य इन्वेस्टमेंट फंड में निवेश कर दें।

2. दुर्घटना बीमा पॉलिसी**:** आमतौर पर, दुर्घटना की भयावता को नज़रअंदाज़ कर देते हैं। हम ये सोंचते है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो हीं नहीं सकता। लेकिन, यह सोंच ज़ोखिम भरा हो सकता है; क्योंकि, आज की भाग-दौड़ भरी ज़िन्दगी में कभी भी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार सड़क-सुरक्षा पर एक वैश्विक स्थिति रिपोर्ट जारी किया है जिसके अनुसार सड़क हादसों में भारत में सबसे ज्यादा प्रति घण्टे लगभग 13 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। वहीं राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की ताजा आँकड़ों के अनुसार विगत वर्ष भारत में लगभग 1,35,000 लोगों की मृत्यु सड़क हादसों में हो गयी। यह दुर्घटना से चोट लगने, मृत्यु, पूर्ण/आंशिक विकलांगता या अपंगता की स्थिति में आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान करता है। यह पॉलिसी आतंकवाद, रेल/सड़क/वायुयान दुर्घटना, आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास, बच्चों के जन्म तथा प्रेगनेंसी से हुई मृत्यु या अयोग्यता, बीमाकृत व्यक्ति के शराब या दवा के नशे के दौरान हुई दुर्घटना, युद्ध व संबद्ध आपदाएं एवं आगलगी आदि में भी क्षतिपूर्ति करता है। जहाँ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ़ मृत्यु पर मुआवज़ा देता है, वहीं दुर्घटना बीमा पॉलिसी मृत्यु के साथ-साथ स्थायी या अस्थायी रूप से पूर्ण/आंशिक विकलांगता की स्थिति में भी मुआवज़े का भुगतान करता है जिससे बीमाधारक की आमदनी की क्षतिपूर्ति हो जाती है और परिवार आर्थिक संकट से बच जाता है।

दुर्घटना बीमा पॉलिसी की प्रीमियम किसी भी अन्य बीमा पॉलिसी से कम लेकिन, कवर व्यापक होता है। इस पॉलिसी में प्रीमियम बीमित व्यक्ति के पेशे की प्रकृति पर निर्भर करता है। चूँकि, हर पेशे का जोखिम स्तर एक समान नहीं होता इसलिए, पेशे को अलग-अलग जोखिम कैटेगरी में बाँट दिया गया है और उसी जोखिम कैटेगरी के आधार पर प्रीमियम का निर्धारण किया जाता है।

3. स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी**:** स्वास्थ्य बीमा या मेडीक्लेम पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस की तरह समान रूप से महत्वपूर्ण है। बढ़ते इलाज़ ख़र्च ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को एक आवश्यक वित्तीय उत्पाद बना दिया है। हर व्यक्ति को उसके निवास करने के स्थान और क्षमता के अनुसार उचित बीमा राशि की एक अच्छी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी अत्यंत आवश्यक है। यह बीमारी या दुर्घटना में इलाज़ खर्च वहन करता है जिससे परिवार को आकस्मिक ख़र्च से दो-चार नहीं होना पड़ता। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के बिना एक छोटी-सी बीमारी के इलाज़ में निम्न या मध्यम आय-वर्ग परिवार की समस्त जमापूंजी ख़र्च हो जाती है। कभी-कभी कर्ज़ लेने को भी विवश होना पड़ता है। इसलिए, भविष्य की ऐसी किसी परिस्थिति से निबटने के लिए उचित बीमा राशि की एक अच्छी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी अवश्य लें।

4. गृह**-**स्वामी बीमा पॉलिसी**:** गृह-स्वामी बीमा पॉलिसी किसी आपदा या चोरी के फलस्वरूप आपके घर एवं इसके अंदर के सामान की क्षतिपूर्ति करता है। घर में व्यक्ति की ज़िन्दगी भर की कमाई लगी होती है। यह बीमा पॉलिसी आपके घर के अंदर उपस्थित आपके मवेशी के नुकसान की भी क्षतिपूर्ति करता है। साथ हीं, आपकी संपत्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति के नुकसान की भी क्षतिपूर्ति करता है।

5. वाहन बीमा पॉलिसी**:** वैसे तो हमारे देश में उन सभी वाहनों की बीमा करवाना क़ानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है जो सड़क पे चलते हैं। लेकिन, यह पर्याप्त नहीं है। अगर आप कभी गम्भीर दुर्घटना के शिकार होते हैं तो एक सामान्य बीमा पॉलिसी के तहत बीमा कंपनी इस नुकसान की क्षतिपूर्ति नहीं करेगी। कुछ परिस्थिति में तो वाहन मालिक को गम्भीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। इसलिए, न्यूनतम कवरेज़ के बदले में व्यापक कवरेज़ की कम्प्रीहेंसिव, शून्य ह्रास (ज़ीरो डेप) बीमा पॉलिसी लेनी चाहिए।

DISCLAIMER

This newsletter is for the personal information of the authorized recipient and does not construe to be any investment, legal or taxation advice to you.

Great Indian Marketing & Consulting Services Pvt Ltd. (hereinafter referred as GIMCS) is not soliciting any action based upon it.

The newsletter is based upon information that we consider reliable, but we do not represent that it is accurate or complete, and it should not be relied upon such. GIMCS or any of its affiliates or employees shall not be in any way responsible for any loss or damage that may arise to any person from any inadvertent error in the information contained in this newsletter. GIMCS or any of its affiliates or employees do not provide, at any time, any express or implied warranty of any kind, regarding any matter pertaining to this report, including without limitation the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, and non-infringement. The recipients of this report should rely on their own investigations. GIMCS and/or its affiliates and/or employees may have interests/ positions, financial or otherwise in the views mentioned in this report. This information is subject to change without any prior notice. GIMCS reserves the right to make modifications and alternations to this statement as may be required from time to time.

ABOUT US

InsuringIndia.com is India’s first multilingual portal and one of the leading online insurance aggregators.
We provide an intelligent customer-centric online platform for our clients, in their language of choice, to compare and choose all types of insurance products.
www.insuringindia.com

CONTACT DETAILS

Corporate Office:
Plot-8, Sector-32, Urban Estate, Gurgaon-122001, Haryana, India
Phone: 0124 – 499 88 88
Email: research@insuringindia.com